मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
आदेश

क्रमांक / 540 /2007 / 4/ नि/चार भोपाल, दिनांक 31-3-2007

विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 25/09/2006 के द्वारा राज्य शासन के अधीन दिनांक 1.1.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत शासकीय सेवक से अंशदान की वसूली मुख्य शीर्ष 8342-117-(02) लघु शीर्ष में जमा की जा रही है। शासकीय अंशदान को कोषालय अधिकारी/संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा जमा करने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त आदेश की कंडिका 17 को संशोधित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि शासकीय सेवक से अंशदान के रूप में प्राप्त कुल राशि के समतुल्य राशि को मुख्य शीर्ष 2071 पेंशन तथा अन्य सेवा निवृति लाभ, उप शीर्ष 01, सिविल (101) - अधिवार्षिकी तथा सेवा निवृति भत्ते (6854), अशंदायी पेंशन योजना, 43-अशंदान में विकलनीय करते हुए पुस्तकीय समायोजन के द्वारा मुख्य शीर्ष 8342 - 117 -(02) में महालेखाकार के द्वारा अंतरित की जावेगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(ए0पी0 श्रीवास्तव)
सचिव
म0प्र0शासन, वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक 31-3-07

पृ0 क्रमांक / 541 /2007 / नि/चार
प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदार/(आडिट)-1/2, म0प्र0 ग्वालियर/भोपाल.
2. संचालक, पेंशन, भोपाल.
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, म0प्र0.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
म0प्र0शासन, वित्त विभाग